# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 03/2018

श्री रामपाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम बड़ा आसन, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर जिला अजमेर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

———

उपस्थित :–1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

**–: आदेश :–**

**दिनांक–21.06.2018**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2074 में श्री रामपाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम बड़ा आसन, तहसील बिजयनगर ने ग्राम बड़ा आसन के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 26/506 व 27 रकबा क्रमशः 9 बीघा 19 बिस्वा व 1 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा किस्म बा0 3 चरागाह पर अनाधिकृत रूप से उड़द, मूंग व ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 59/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 10.11.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करते हुए फसल को जब्त कर नीलाम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 10.11.2017 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका एवं सूचना दिये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

करते समय अपीलान्ट को अनुपस्थित बताया है जबकि अपीलान्ट प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहा है, जो कि आदेशिका पर अपीलान्ट द्वारा किये गये हस्ताक्षरों से स्वयं सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 10.11.2017 में अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है किन्तु आक्षेपीय आदेश में जवाब नोटिस प्रस्तुत नहीं किया जाना अंकित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरोधाभासी कथनों के आधार पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है एवं नामान्तरकरण संख्या 6 अपीलान्ट के पक्ष में किया हुआ है जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में नहीं होने के कारण राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गई। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि उनके द्वारा इस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें तहसीलदार, मसूदा/बिजयनगर द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया है। प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी है एवं वाद अन्तिम बहस के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने की स्थिति में अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम बड़ा आसन स्थित सिवाचयक भूमि पर अनाधिकृत रूप से उड़द, मूंग व ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही चरागाह के रूप में दर्ज है जो आवंटन/नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में विचाराधीन वाद में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन भी जारी नहीं किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन चरागाह की भूमि है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में नियमित वाद दायर किया हुआ है, जिसमें तनकीयात कायम की जा चुकी है एवं वाद अन्तिम बहस के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में नियमित वाद

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट को प्रश्नगत आराजी से बेदखल किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, बिजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner